सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **13/2019** अपील (राजस्व)

1. श्री भंवर सिंह पिता श्री लहर सिंह राजपुत, निवासी बागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. श्री हरिसिंह पिता श्री निर्भय सिंह राजपुत, निवासी बागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. श्री नवल सिंह पिता श्री सरदार सिंह राजपुत, निवासी बागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
4. श्री भैरूसिंह पिता श्री ऊंकार सिंह राजपुत, निवासी बागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
5. श्री कान सिंह पिता ऊंकार सिंह राजपुत, निवासी बागरोदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील बनाराजगी निर्णय श्री न्यायालय उप तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर
ब. प्रकरण संख्या 402/2018 निर्णय दिनांक 29.01.2019

उपस्थित : श्री कन्हैयालाल चौर्डिया, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—05.08.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 402/2018 निर्णय दिनांक 29.01.19 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मौजा बागरोदा की हाल आराजी संख्या 1042, 1043 1173/1042 भूमि विगत 100 वर्षो से हमारे बापदादाओं के समय से हमारे कब्जे में होकर काबिज है। कुछ व्यक्तियों के

विरूद्ध हमारे द्वारा 14(4) का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें प्र.सं. 13/99, 14/99, 15/99 दर्ज होकर आप न्यायालय से आवंटियों के आवंटन निरस्त किये जाने से कतिपय लोगों द्वारा झुठी शिकायत किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हमारे विरूद्ध नाजायज कब्जे की कार्यवाही कर बिना साक्ष्य सबूत प्रस्तूत करने का अवसर दिये, बिना मौके देखे ही अपीलान्ट के खिलाफ जल्दबाजी में निर्णय पारित कर मौके से बेदखली किये जाने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में हुए निर्णयों को भी अनदेखा कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने में भारी विधिक भूल की है। बिना स्थल निरीक्षण किये पूर्व में हुए निर्णयों का अवलोकन किया गया। छपेछपाये साईक्लोस्टाईल निर्णय में नाम पते भर कर निर्णय पारित कर दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण को
अधीनस्थ न्यायालय के पास रिमाण्ड फरमाया जाकर हमारी साक्ष्य लेकर हमे सुनकर निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये जाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश प्रदान किया गया है वह मात्र छपेछपाये साईक्लोस्टाईल फार्म में नाम पते भरकर नॉनस्पीकिंग आदेश पारित कर दिया गया। अपीलान्टगण को सुना नहीं गया। साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। मात्र कुछ विरोधी लोगों द्वारा झुठी शिकायत किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही की गई। जबकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टों का कब्जा विगत 100 वर्षो का होकर हमारे पूर्वाधिकारियों के समय से ही चला आ रहा है। हमारे द्वारा आवंटन निरस्ती प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में आप न्यायालय द्वारा भी हमारा वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य व कब्जे को स्वीकार किया गया। अतः कृपया प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित करे कि वह प्रकरण में साक्ष्य, सबूत, मौका निरीक्षण करते हुये बाद सुनवाई निर्णय पारित करें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अपीलान्टगणों को विधिवत नोटिस जारी कर उनका जवाब प्राप्त होने व जवाब का परीक्षण करने के उपरान्त ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया है। निर्णय पारित किये जाने में किसी प्रकार की वैधांनिक त्रुटि नहीं की गई है। अपीलान्टगण द्वारा राजकीय भूमि पर नाजायज कब्जा कर अवैध कोट बना रखी है। जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं। किसी व्यक्ति को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के राजकीय बिलानाम भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.01.19 में दिनांक 10.01.19 को अपीलान्टगणों द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया है। उसका कोई हवाला नहीं दिया गया है। नॉनस्पिकिंग आदेश पारित कर दिया गया है। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों को भी पत्रावली पर नहीं लिया गया है। मात्र छपेछपाये फार्म में नाम पते लिखकर आदेश पारित कर दिया गया है। जो न्यायिक प्रक्रिया नहीं है।

अतः प्रकरण में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.01.19 को खारीज किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ में पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टगणों को साक्ष्य, सबूत का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाकर अपीलान्टगणों को सुनवाई का युक्तियुक्त समय प्रदान कर गुणावगुण पर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार मावली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर,
उदयपुर